ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 63 / 16–17

रामेश्वर राय बनाम् रैयान, मौजा–गोराडीह

पं0 8

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रक्रिया आवेदक रामेश्वर राय, पे0–जयमंगल राय, सा0–गोराडीह, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत् मौजा–गोराडीह नं0–741 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन की जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–357/रा0, दिनांक–16.05.2017 से प्राप्त है। जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– गोराडीह नं0–741 प्रधानी मौजा है। आवेदक मौजा–गोराडीह थाना नं0–741 के अंतर्गत जमाबंदी नं0–24 के जमाबंदी रैयत बली राय के परपोता है। आवेदक के पिता–जयमंगल राय उक्त प्रधानी मौजा के अंतिम प्रधान थे, जिसकी मृत्यु दिनांक–03.07.2016 को हो गई। अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत् वंशानुगत आवेदक रामेश्वर राय को मौजा– गोराडीह नं0–741 का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया गया है।

मौजा के सोलह आना रैयतों को प्रधानी नियुक्ति आवेदन पर आपत्ति देने हेतु इस न्यायालय के डी0बी0 सं0–477/रा0, दिनांक–28.02.2018 द्वारा नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। सोलह आना रैयतों से नोटिस तामिला कराया गया। किसी भी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक मौजा के सोलह आना रैयतों से सामान्यतः स्वीकार्य योग्य है तथा उनके विरूद्ध संथाल परगाना काश्तकारी नियम 1950 के तहत् वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। संथाल परगना काष्तकारी (पूरक) अधिनियम 1950 के अनुसूची–V के उपधारा–3 के अनुसार The Office of Headman being hereditary the next heir who is fitted should be headman के आलोक में, आवेदक के आवेदन के विरूद्ध मौजा के सोलह आना रैयतों से किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, महागामा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत् मौजा–गोराडीह थाना नं0–741 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चलान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Scanned with CamScanner